भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

वित्तीय सेवाएं विभाग

**राज्‍य सभा**

**अतारांकित प्रश्‍न संख्‍या 668**

(जिसका उत्तर 16 अगस्‍त, 2012/25 श्रावण, 1934 (शक) को दिया जाना है)

**प्रत्‍यक्ष ऋण प्रदान किए जाने हेतु व्‍यवसाय का विविधीकरण करने की अनुमति**

668. श्री तपन कुमार सेन:

क्‍या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्‍या नाबार्ड ने‘नाबार्ड अवसरंचना विकास एजेंसी (एनआईडीए) जैसी योजनाओं के तहत विशेष रूप से कारपोरेट कंपनियों को प्रत्‍यक्ष रूप से ऋण प्रदान किये जाने हेतु अपने व्‍यवसाय का विविधीकरण करने के संबंध में सरकार से अनुमति मांगी है; और

(ख) यदि हां, तो यह अनुमति प्रदान किए जाने के संबंध में सरकार की क्‍या राय है?

**उत्तर**

वित्त मंत्रालय में राज्‍य मंत्री (श्री नमो नारायन मीना)

**(क) से (ख):** सरकार ने राष्‍ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) को सलाह दी है कि उसे संवर्धनात्‍मक कार्य में लगना चाहिए और प्रत्‍यक्ष वित्‍त-पोषण नहीं करना चाहिए। नाबार्ड को बैंकों के माध्‍यम से परियोजनागत वित्‍त–पोषण करवाने और बैंकों के पुनर्वित्‍त-पोषण पर ध्‍यान केन्‍द्रित करना चाहिए।

\*\*\*\*